

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/(निर्यात/मार्केटिंग)/५१०

भोपाल, दिनांक १३.०१.२०२१

प्रति

1. संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - (समस्त)
2. सचिव
कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

विषय - प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में अधिसूचित कृषि उपजों के प्रचलित भावों की समीक्षा बाबत।

कृषि उपज मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों की कृषि उपज का सही मूल्य, उचित तौल एवं त्वरित भुगतान सुनिश्चित कराना है, जिस हेतु मंडियों में उपजों की उचित नीलामी एवं प्रचलित भावों की सतत समीक्षा आवश्यक है। मंडियों को कृषि उपजों की विक्रीत मात्रा एवं भाव संबंधी जानकारी Agmarknet Portal एवं विभागीय वेबसाइट पर दैनिक रूप से दर्ज करने के निर्देश पूर्व से ही प्रसारित हैं किन्तु देखने में आया है कि आंचलिक कार्यालय एवं मंडी स्तर पर जिले एवं निकटवर्ती मंडियों के भावों की सतत समीक्षा नहीं की जा रही है जिससे एक ही जिले की मंडियों/निकटवर्ती मंडियों में कृषि उपज के भावों में असमानता परिलक्षित होती है। जिससे मंडियों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां निर्मित होकर मंडियों के दैनिक क्रिया कलापों में सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

उक्त के निराकरण हेतु आंचलिक कार्यालय स्तर पर संभाग की समस्त मंडियों में कृषि उपज की नीलामी से प्राप्त भावों की प्रतिदिन समीक्षा किया जाना आपेक्षित है। जिस हेतु अग्रलिखित स्थायी निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. मंडियों में प्रांगण प्रभारी जिले की मंडियों/निकटवर्ती मंडियों के गत दिवसों के भावों की जानकारी नीलामी से पूर्व प्राप्त कर मंडी में कृषकों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु प्रयास करेंगे।
2. आंचलिक कार्यालय स्तर पर न्यूनतम एक कर्मचारी को मंडियों की दैनिक आवक-भाव की जानकारी के अवलोकन/परीक्षण हेतु नामित किया जावे। श्रेयस्कर होगा कि Agmarknet/ सांखियकी शाखा से संबंधित कर्मचारी का चयन किया जावे।
3. उक्त कर्मचारी दैनिक रूप से प्रातः 11 बजे तक Agmarknet Portal एवं विभागीय वेबसाइट पर मंडियों द्वारा दर्जजानकारी का अवलोकन करेगा तथा नॉन रिपोर्टिंग की

- स्थिति में तत्काल मंडियों से संपर्क कर जानकारी दर्ज करना सुनिश्चित कराएगा। उक्त व्यवस्था करने पर Agmarknet Portal में राज्य की स्थिति में भी सुधार होगा।
- 4. मंडियों में सीजनवार अधिक आवक याती फसलों के भावों का परीक्षण कर जिले/संभाग की मंडियों में समान उपज के भावों में अधिक अंतर होने पर सम्बंधित मंडियों से चर्चा कर कारणों को लिपिबद्ध करेगा एवं आंचलिक अधिकारी के संज्ञान में लाते हुए सुधार के आवश्यक उपाय करेंगे।
- 5. बिंदु क्रमांक 4 के संबंध में संक्षिप्त प्रतिवेदन तैयार कर मुख्यालय को भेजा जाये। इस प्रतिवेदन में विशिष्ट अंतर, कारणों एवं किये गए सुधार का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार प्रपत्र।



४ (विकास नरवाल)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विषयन वोर्ड

भोपाल

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय

मंडियों में कृषि उपज के आवक-भाव संबंधी दैनिक जालकारी संग्रहण करने हेतु प्रत्यक्ष

टीप - जिना एवं संभाग सारांश में कष्ट उपज के न्यूनतम उच्चतम एवं मोड़ल भाव के साथ ही सम्बन्धित मंडियों के नाम भी अंकित किये जावेंगे।

संयुक्त/उप संचालक

મ. પ્ર. રાજ્ય કૃષિ વિપણન બોર્ડ

आंचलिक कार्यालय

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय

मंडीवार कृषि उपज के आवक-भाव विवरण संबंधी साताहिक जानकारी प्राप्त

विशिष्टियाँ	कृषि उपज	फिस्म	मंडी एवं भाव संबंधी जानकारी						अल्प दर के मटा वारे कारण (केवल non-FAQ आंकित न किया जावे)	मुझार हेतु किये गए प्रयास											
			न्यूनतम	मंडी का नाम	मॉडल भाव	मंडी का नाम	उच्चतम	मंडी का नाम			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जिला सारांश																					
संभाग सारांश																					

सम्प्रेषण हेतु ईमेल आई ई - jdmpsambmarket@gmail.com & admpsambmarket@gmail.com

संयुक्त/उप संचालक

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

आंचलिक कार्यालय

म. प. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय

मंडीवार कृषि उपज के आवक-भाव संबंधी जानकारी परिणाम मूलक मासिक प्रपत्र

सम्प्रेषण हेतु ईमेल आईडी - jdmpsambmarket@gmail.com & admpsambmarket@gmail.com

संयुक्त/उप सचालक

મ. પ્ર. રાજ્ય કૃષિ વિપણ બોર્ડ

आंचलिक कार्यालय